

**समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश**

इस प्रकार के तथ्य मुख्यालय के संज्ञान में आए हैं कि डीजल पर प्रवेश कर के संबंध में अभी भी भ्रांति की स्थिति बनी हुयी है तथा इस संबंध में प्रवेश कर की देयता का निर्धारण उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत निम्नानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा रही है -

1- डीजल पर प्रवेश कर की देयता 5% की दर से दिनांक 21-1-2004 से ही अवधारित है। शासन द्वारा शासकीय विज्ञप्ति सं० KA.NI.-2-765/XI-9(203)/XI-9(203)92-U.P.Act-30-07-Order-(10)-2008 दिनांक 4-3-2008 के द्वारा डीजल पर अवधारित प्रवेश कर के परिप्रेक्ष्य में लोकल एरिया में प्रवेश के पूर्व दिए गए मूल्य संवर्धित कर की सीमा तक रिबेट दिए जाने के प्राविधान किए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि रिबेट की राशि प्रवेशकर अधिनियम के अन्तर्गत डीजल पर देय प्रवेश कर से अधिक नहीं होगी। उक्त शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 25-4-2010 तक प्रभावी रही है। शासकीय विज्ञप्ति सं० KA..NI.-2-484/XI-9(1)/08-U.P.Act-30-07-Order-(59)-2010 दिनांक 26-4-2010 द्वारा शासकीय विज्ञप्ति सं० KA.NI.-2-765/XI-9(203)/XI-9(203)92-U.P.Act-30-07-Order-(10)-2008 दिनांक 4-3-2008 में निहित शब्द "before entry of such goods into a local area " को Omit कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन का यह प्रभाव हुआ कि विज्ञप्ति सं० 765 दिनांक 4-3-2008 द्वारा रिबेट की अनुमन्यता के लिए मूल्य संवर्धित कर के लोकल एरिया में डीजल के लाने के पूर्व पेयेबिल (Payable) होने की जो बाध्यता रखी गयी थी उसे समाप्त कर दिया गया।

2- यह भी स्पष्ट है कि डीजल 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के Schedule -IV में समाहित है तथा इस पर एकपदीय (Single Point) कर व्यवस्था निर्माता/आयातकर्ता के बिन्दु पर अवधारित है। अतः यदि डीजल पर एक बार प्रान्त में कर दे दिया जाता है तब दोबारा उस पर कर की देयता नहीं रहती है और इसकी टैक्स पेड वस्तु की तरह अग्रेत्तर बिक्री होती है। यह भी स्पष्ट है कि एक बार डीजल पर जब कर दे दिया जाता है तब ऐसे क्रेता द्वारा ऐसे टैक्स पेड डीजल की अग्रेत्तर बिक्री किए जाने की दशा में पूर्व में दिए गए कर का component उसके विक्रय मूल्य में हमेशा समाहित रहता है।

3- प्रान्त में स्थित पेट्रोल पम्प यदि डीजल की तेल कम्पनियों के प्रान्तीय डिपो से खरीद करते हैं तब उनके द्वारा ऐसे डीजल की खरीद के समय ही मूल्य संवर्धित कर दे दिया जाता है और यह कर उनके द्वारा लोकल एरिया जिसमें ऐसा पेट्रोल पम्प स्थित है , उसमें ऐसे पेट्रोल को लाने के पूर्व ही मूल्य संवर्धित कर दे दिया जाता है तथा डीजल पर मूल्य संवर्धित कर की सामान्य कर की दर , प्रवेश कर की दर से अधिक होने के कारण मूल्य संवर्धित कर के रिबेट की अनुमन्यता के परिप्रेक्ष्य में 5% प्रवेश कर नहीं देना होता है। इस प्रकार ऐसे पेट्रोल पम्प द्वारा जिस भी क्रेता को डीजल की बिक्री की जाएगी , उस विक्रय मूल्य में मूल्य संवर्धित कर का कम्पोनेंट अवश्य समाहित होगा तथा ऐसा क्रेता चाहे उसी लोकल एरिया का हो अथवा भिन्न

लोकल एरिया का हो , उसके द्वारा चूँकि टैक्स पेड डीजल की खरीद की गयी है अतः विज्ञप्ति सं० 765 दिनांक 4-3-2008 द्वारा अनुमन्य रिबेट के कारण कोई प्रवेश कर नहीं देना होगा ।

4- एक अन्य स्थिति यह हो सकती है कि पेट्रोल पम्प द्वारा विशिष्ट स्थिति में प्रान्त बाहर से खरीद की गयी हो । इस स्थिति में उक्त विज्ञप्ति सं० 765 दिनांक 4-3-2008 के परिप्रेक्ष्य में चूँकि उसके द्वारा लोकल एरिया में ऐसे डीजल को लाए जाने के पूर्व कोई मूल्य संवर्धित कर नहीं दिया गया होता है , अतः उसे रिबेट की कोई सुविधा विज्ञप्ति सं० 484 दिनांक 26-4-2010 के पूर्व अनुमन्य नहीं होगी और उसे प्रवेश कर 5% की दर से तथा डीजल पर मूल्य संवर्धित कर यथा लागू दर से देना होगा परन्तु ऐसे पेट्रोल पम्प से जो भी क्रेता डीजल की खरीद करेगा उसके खरीद मूल्य में मूल्य संवर्धित कर का कम्पोनेंट अवश्य समाहित होगा और उसके संबंध में विज्ञप्ति सं० 765 दिनांक 4-3-2010 की रिबेट की व्यवस्था लागू रहेगी । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि ऐसा क्रेता उसी लोकल एरिया का है जिमसे ऐसा पेट्रोल पम्प स्थित है अथवा भिन्न लोकल एरिया का है ।

5- इस प्रकार स्पष्ट है कि डीजल पर रिबेट के प्राविधानों के उक्तानुसार envisaged होने के कारण प्रान्त में स्थित पेट्रोल पम्प से डीजल की खरीद किए जाने पर ऐसे क्रेता से कोई भी प्रवेश कर पेयेबिल (Payable) नहीं होगा , भले ही यह क्रेता उस लोकल एरिया से भिन्न लोकल एरिया का हो जिसमें ऐसा पेट्रोल पम्प स्थित है ।

6- यह भी अवगत कराना है कि ऐसे व्यापारी , जिनके द्वारा डीजल की बिक्री पर उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के अन्तर्गत देय कर का भुगतान किया गया है , उनसे दिनांक 1-1-2008 से शासकीय विज्ञप्ति सं० KA..NI-2-484/XI-9(1)/08-U.P.Act-30-07-Order-(59)-2010 दिनांक 26-4-2010के लागू होने तक देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज की माफी के संबंध में पूर्व में ही निर्देश परिपत्र सं०-विधि-4(1)-विज्ञप्ति भाग-209-10) / 806 / 1011012 / वाणिज्य कर दिनांक 04 मई , 2010 द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं ।

कृपया उक्त विधिक वस्तुस्थिति के अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(हिमांशु कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना , उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, , उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, , उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा० / स०द०) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।

- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, ईसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में ।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (26) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- (43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।

- (49) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ